

कार्यालय उपजिलाधिकारी, कलान (शाहजहांपुर)

पत्रांक- 104/30 जि. 85/कलान/

दिनांक- 22/12/2020


प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है की ग्राम गांव - नूरपुर तरसुरा, मिर्जापुर तहसील-कलां, जिला-शाहजहांपुर के गाटा संख्या 255/2 एवं 255/3, में 0.405 एवं 0.405 कुल 0.810 हेक्टेयर भूमि श्रीपाल सिंह एजुकेशनल समिति के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है जिसे धारा 143 के अंतर्गत अकृषक घोषित किया गया है तथा लगान से मुक्त किया गया है। यह भूमि किसी विकास प्राधिकरण, नगर पालिका अथवा निकाय की सीमा के अंतर्गत नहीं है तथा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत निहित है। इस भूमि पर सुमनलता संतनपाल सिंह इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज के नाम में कुल 3307.91 वर्ग मी0 क्षेत्रफल का भवन निर्मित है।

उपरोक्त भूमि के धारा 143 के अंतर्गत अकृषक घोषित होने तथा निर्मित भवन के दृष्टिगत इस भूमि को शैक्षिक गतिविधियों के प्रयोग हेतु चिन्हित कर दिया गया है तथा उपरोक्त 8100 वर्ग मीटर का उपयोग संदर्भित संस्थान के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकेगा।



उपजिलाधिकारी
कलान (शाहजहांपुर)



Chairman
Sri Pal Singh Education Samiti